संख्या-275/2023/3167/22-2-2022-17(1232)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशीद पुत्र श्री अल्लादिया निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29945/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-04.08.2022) दिनांक-20.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशीद पुत्र श्री अल्लादिया, गन्धौर, थाना-हीमपुर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने बटाई की जमीन बोने की रंजिश को लेकर दिनांक 16.08.2007 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, तमन्चा, गन्डासा व डण्डे से मारकर संजीव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-75/2008 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2 बिजनौर के आदेश दिनांक 03.11.2008 द्वारा आजीवन कारावास तथा सत्र परीक्षण संख्या-5डी/2008 में भा0द0वि0 की धारा-3(1) जी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, जी0एक्ट, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.04.2010 द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.07.2022 तक 14 वर्ष 11 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19.01.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है जो समाज को प्रभावित करने, बन्दी के जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध में संलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बटाई की जमीन बोने की रंजिश को लेकर दिनांक 16.08.2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, तमन्चा, गन्डासा व डण्डे से मारकर संजीव नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध में संलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमशीद पुत्र श्री अल्लादिया को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशीद (बन्दी संख्या-46888) पुत्र श्री अल्लादिया निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-275/2023/3167(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-275/2023/3167/22-2-2022-17(1232)/2022

दिनांक 31 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशीद पुत्र श्री अल्लादिया, गन्धौर, थाना-हीमपुर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने बटाई की जमीन बोने की रंजिश को लेकर दिनांक 16.08.2007 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, तमन्चा, गन्डासा व डण्डे से मारकर संजीव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-75/2008 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2 बिजनौर के आदेश दिनांक 03.11.2008 द्वारा आजीवन कारावास तथा सत्र परीक्षण संख्या-5डी/2008 में भा0द0वि0 की धारा-3(1) जी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, जी0एक्ट, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.04.2010 द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.07.2022 तक 14 वर्ष 11 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19.01.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है जो समाज को प्रभावित करने, बन्दी के जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध में संलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बटाई की जमीन बोने की रंजिश को लेकर दिनांक 16.08.2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, तमन्चा, गन्डासा व डण्डे से मारकर संजीव नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध में संलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमशीद पुत्र श्री अल्लादिया को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।